


दिनांक
2-4-2014 को
5/11

14



व्यापारिक शरण-व्यवस्था म.प्र. अ्यामिपट

पु.सं. 675/2014 निगरानी Regd 1142-III4

रेस्योरेशन आवेदन

मनोरवान 50 हनुकु कोरी, ग्राम -
हयारिया तहसील, जिला मुरना (म.प्र.)
- आवेदन

दिनांक 2-4-2014
अ्यामिपट
अ्यामिपट
अ्यामिपट

माना वेवा चिरोजी
- अ्यामिपट

आवेदन का वास्तविक प्रकरण को रेस्योरेड किया जाने का वक्त

महोदय

श्रीमान जी के समक्ष आवेदन पत्र नि.वि. प्रस्तुत है।

1) यह कि प्रकरण माननीय व्यापारिक शरण-व्यवस्था म.प्र. अ्यामिपट के समक्ष आण दिनांक को प्रारंभिक सुनवाई हेतु निपत था।

2 - यह कि आवेदक अ्यामिपट म.प्र. उच्च व्यापारिक शरण-व्यवस्था म.प्र. अ्यामिपट में पु.सं. 5930/2013 W.P. में दायर है, इसका वक्त प्रकरण माननीय व्यापारिक शरण-व्यवस्था म.प्र. अ्यामिपट उपस्थित नहीं हो सके इसलिये माननीय व्यापारिक शरण-व्यवस्था म.प्र. अ्यामिपट अ्यामिपट में निरस्त कर दिया गया है।

3 - यह कि आवेदक प्रकरण को गुण दोषों पर निराहृत करना चाहता है।

(4) यह कि आवेदक का आवेदन पत्र अशभावना पर आधारित है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रकरण को पुनर्स्थापित कर गुण दोषों पर सुनवाई किये जाने का वक्त आदेशित करने की कृपा करें।

दिनांक - 2-4-2014

स्थान - अ्यामिपट

अ्यामिपट
हारा अ्यामिपट
पी.के. तिवारी
अ्यामिपट

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक ११५२/II/14

गुलबर्ग

विरुद्ध माला

तहसील

जिला ग्वालियर

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. तहसील का प्रकरण क्रमांक.

वाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---|---|
| | <p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला १५२/II/14</p> <p>के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक. ३-५-१४</p> <p>के विरुद्ध श्री</p> <p>के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है।</p> <p>पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/नहीं है/मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/.</p> <p>. रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।</p> <p>प्रस्तुतकार</p> <p>आके इति. ली. ली. के विरुद्ध ३५०</p> <p>मुद्रांक शुल्क साख्त राज्य का</p> <p>प्रमाण हेतु पर दस्तावेज</p> <p>C.A 3-5-14</p> | <p>3-5-14</p> <p>3-5-14</p> <p>3-5-14</p> |

मूल २००० / माला

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

२

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रेस्टोरेशन

-एक/2014

जिला मुरैना


स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

3-4-2014

आवेदक अधिवक्ता श्री पी०के०तिवारी उपस्थित । उन्हें रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना । पर्याप्त आधार होने से रेस्टोरेशन आवेदन स्वीकार किया जाता है । मूल प्रकरण क्रमांक 675-एक/2014 पुनः नम्बर पर लिया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से यह प्रकरण समाप्त किया जाता है ।


प्रशासकीय सदस्य